

बिहार में अभिवंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षाधिकार दिलाने में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका

अल्पना शालिनी*

विनय कुमार दास**

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय शिक्षा समिति वस्तुतः विद्यालय के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु गठित की गई है। इसका उद्देश्य है कि समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सभी बच्चों विशेषकर अभिवंचित समुदाय को प्राप्त हो सके। विद्यालय शिक्षा समिति का जो प्रारूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित है कि लोक भागीदारी की भावना के अनुरूप समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों, चाहे वह देश में कहीं भी निवास करते हों, उनके 6-14 आयु वर्ग के बच्चे विद्यालय में नामांकित हो सकें, नियमित रूप से निर्धारित समयानुकूल शिक्षा ग्रहण कर सकें और प्रारंभिक स्तर की निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर सकें। परंतु विद्यालय शिक्षा समिति की लचर कार्य प्रणाली के कारण यह प्रभावकारी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है जिससे अभिवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय शिक्षा समिति को सक्षम और सक्रिय बनाने का शीघ्र सुनियोजित प्रयास हो जिससे अभिवंचित समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को रेखांकित कर उसे दूर किया जा सके। प्रस्तुत आलेख में विद्यालय शिक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी से अभिवंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षाधिकार दिलाने पर विस्तृत चर्चा की गई है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय शिक्षा समिति वस्तुतः विद्यालय के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु गठित की गई है। इसका अंतर्निहित अभीष्ट मूल रूप से लोक भागीदारी के द्वारा विद्यालय में सुव्यवस्थित व्यवस्था करना है ताकि समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान की जा

सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लक्ष्य एवं भावना के अनुरूप समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों, चाहे वह देश में कहीं भी निवास करते हों, उनके 6-14 आयु वर्ग के बच्चे विद्यालय में नामांकित हो सकें, नियमित रूप से निर्धारित समयानुकूल शिक्षा ग्रहण कर सकें और प्रारंभिक स्तर की निर्धारित दक्षता को प्राप्त कर सकें। विद्यालय

* अतिथि व्याख्याता, मनोविज्ञान विभाग, एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

** सहायक प्राध्यापक, जे.एम.डी.पी.एल. महिला कॉलेज, मधुबनी, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

शिक्षा समिति इन्हीं व्यापक लक्ष्यों को केंद्र में रख कर कार्य करे, यह अपरिहार्य है।

1. भारत सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति नाम दिया गया है लेकिन इस अधिनियम के आधार पर बिहार सरकार द्वारा निर्गत नियमावली में विद्यालय शिक्षा समिति से इसे नामित किया गया है, इसलिए इस रचना में विद्यालय शिक्षा समिति नाम की चर्चा है जिसका अर्थ विद्यालय प्रबंधन समिति से है।
2. पंचायती राज अधिनियम, 1993 में भी ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति बनाने का अधिकार है जिसका कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के तहत पड़ने वाले सभी प्रारंभिक विद्यालयों को नियंत्रित करना है।
3. राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक की नियुक्ति केंद्र सरकार के युवा कार्य मंत्रालय द्वारा देश के प्रत्येक जिले में स्थापित नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में की जाती है जिन्हें नियमित मानदेय भी दिया जाता है। इसी तरह नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिले के प्रत्येक पंचायत में युवा क्लब और महिला मंडल का भी गठन किया जाता है।
4. सहभागी शिक्षण आकलन पद्धति नवीनतम सामाजिक अध्ययन प्रक्रिया माइक्रो प्लानिंग का एक अंग है जिसके माध्यम से शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है जिससे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहभागी योजना निर्मित की जा सकती है।

विदित है कि भारतीय समाज में अभिवंचित समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के वैसे समूह से है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हैं और भारतीय संविधान की धारा 341 की उपधारा (1)

के तहत इन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया और धारा 366 की उपधारा (24) के तहत इसे पारिभाषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इनके उत्थान के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था करते हुए कई परियोजनाएँ लागू कीं। इस समुदाय के बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी कई योजनाएँ बनाई और लागू भी की गईं। फिर भी लगभग 7 दशक के बीतने की स्थिति तक इस दिशा में कोई अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। अभिवंचित समुदाय के बच्चों में तो प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत ज्यादा दयनीय आँकी गई। शिक्षाविदों और समाज वैज्ञानिकों ने पिछले अनुभव के आधार पर यह माना कि प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने में, विगत प्रयासों में स्थानीय लोगों की सहभागिता नहीं ली गई थी। इसलिए 2009 में संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया तो इसमें विद्यालय शिक्षा समिति बनाने का प्रावधान लाया गया ताकि स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इतना ही नहीं इसे उक्त आयु वर्ग के बच्चों के लिए 'मौलिक अधिकार' माना गया है। इसे केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम माना गया। इस तरह सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, विद्यालय में उनका नियमित ठहराव और अपेक्षित शैक्षणिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए इसे नवाचारी और ठोस प्रयास माना गया है।

विद्यालय शिक्षा समिति का गठन

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के पिछले प्रयासों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में कुछ मौलिक बातों को सामाजिक और वैज्ञानिक कसौटी पर

जाँच-परख कर शामिल किया गया है। वह यह कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है ताकि निर्धारित आयु वर्ग के समाज के सभी वर्गों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। इस अधिनियम की धारा 21 और 22 के तहत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालयों में एक 'विद्यालय शिक्षा समिति' के गठन को अनिवार्य माना गया। इस समिति 17 सदस्यीय के गठन की भी एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र-छात्रा के प्रतिनिधि सहित कई अन्य लोगों को शामिल किया गया है जिससे एक मज़बूत लोकतांत्रिक ढाँचे का निर्माण हो सके। इसके लिए यह आवश्यक माना गया है कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक संबंधित संकुल के समन्वयक की सहमति से एक निश्चित तिथि का निर्धारण कर संबंधित विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों की एक आम सभा बुलाएँगे। इस आम सभा की सूचना सभी निर्धारित व्यक्तियों को सूचना पंजी के माध्यम से दी जाएगी और संकुल समसमन्वयक की देखरेख में चुनाव कार्य संपन्न किए जाएँगे। यदि समिति के गठन के विरुद्ध किसी को आपत्ति होती है तो यह प्रावधान बनाया गया है कि ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को समिति गठन होने के 15 दिनों के अंदर आपत्ति दायर करेंगे, जिसकी सुनवाई आपत्ति दायर करने के एक महीने अर्थात् 30 दिनों के अंदर होगी। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा और समिति का पुनर्गठन समिति के कार्यकाल पूरा होने के पूर्व किया जा सकेगा।

विद्यालय शिक्षा समिति की सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तें

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य बनने के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जैसे— यह कि विद्यालय के पूर्ववर्ती वर्गों में जिन बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम रहती है। ऐसे बच्चों की माताएँ समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन वर्ग 1 के बच्चों की माताओं के मामले में यह लागू नहीं होता है।

जहाँ तक विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकों का सवाल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार इसकी बैठक समिति के अध्यक्ष की सहमति से सचिव द्वारा प्रत्येक माह बुलाई जानी है। यदि अध्यक्ष द्वारा लगातार तीन महीने तक बैठक नहीं बुलाई जाती है तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समिति के सचिव को बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि यदि ऐसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से दैनिक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे।

जब ज़िला शिक्षा पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/ज़िला पदाधिकारी को यह ज्ञात हो कि विद्यालय शिक्षा समिति अपने दायित्वों का पालन विधिवत नहीं कर रही है तो उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे उस समिति को विघटित कर पुनः अग्रलिखित प्रक्रिया के द्वारा नयी समिति का गठन कर लें। इस संदर्भ में यह भी ज़िक्र करना अनिवार्य होगा कि यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होते हैं तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में निर्णय लेकर वैसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। इसी

तरह यदि कोई सदस्य अपनी मर्जी से त्यागपत्र देता है तो विद्यालय शिक्षा समिति उसे स्वीकार कर सकती है।

इसके अतिरिक्त नामांकन और वर्ग से उत्तीर्ण होने की प्रक्रिया को भी सरल बनाते हुए यह व्यवस्था की गई है कि बच्चों के नामांकन में जन्म प्रमाण-पत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी विद्यार्थी को किसी वर्ग में फेल नहीं करने तथा उसे समकक्ष वर्ग में लाने के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा देने के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं सभी बच्चों विशेषकर अभिवंचित वर्ग के बच्चों की पहुँच विद्यालय तक हो सके, इसके लिए प्रत्येक एक किलोमीटर पर प्राथमिक एवं प्रत्येक तीन किलोमीटर पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। हालाँकि, बिहार में इस दूरी के मापदंड को बदला गया है क्योंकि यहाँ के गाँव विभिन्न टोलों में बँटे हैं और अधिक दूरी वाले टोलों में ज्यादातर अभिवंचित समुदाय के लोग ही बसते हैं। इसलिए बिहार में सभी टोलों/बसावटों से ही, 1 तथा 3 किलोमीटर मापने का मापदंड निर्धारित किया गया है।

इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक गठित विद्यालय शिक्षा समिति के लिए समिति के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खाता खोलने की भी व्यवस्था है। इसका संचालन विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से करने का निर्देश है। इस खाते में सरकार द्वारा देय राशि के अतिरिक्त जन सहयोग से प्राप्त राशि रखी जाएगी। इस खाते का वार्षिक अंकेक्षण भी नियमित

रूप से होना है। इस संदर्भ में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई निजी दाता एक लाख रुपये तक अपनी मर्जी से दान देता है तो दाता की मर्जी से चापाकल, शौचालय आदि का निर्माण किया जा सकता है। यदि वहीं व्यक्ति एक करोड़ रुपये का दान देता है तो उससे दाता अथवा उनकी सहमति से किसी व्यक्ति का नाम विद्यालय के मुख्य द्वार पर अंकित किया जा सकता है।

17 सदस्यीय इस समिति के गठन में निम्नलिखित तरह के व्यक्तियों के सदस्य होने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है—

- ग्राम पंचायत/नगर निकाय से संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य जिसमें विद्यालय अवस्थित है—
1 पदेन अध्यक्ष
- विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक—
1 सदस्य
- छात्र-छात्राओं की माताएँ (चयनित)—9 सदस्य, जिसमें पिछड़ा वर्ग से 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से 2, सामान्य जाति से 2, तथा 1 निःशक्त बच्चों की माता
- जीविका के ग्राम एवं महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान— 2 सदस्य
- छात्र प्रतिनिधि (चयनित)— 2 सदस्य
- विद्यालय के वरीयतम शिक्षक— 1 सदस्य
- दाता, जिसने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकतम भूमि दान दी हो अथवा विद्यालय निधि में 10 लाख रुपये से अधिक राशि दी हो तो उन्हें या उनके द्वारा नामित उनके परिवार का कोई 1 सदस्य (विशेष आमंत्रित)

(समिति के सचिव का चयन चयनित सदस्यों के द्वारा अपने में से बहुमत से करने का प्रावधान है।)

विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकार

स्पष्ट है कि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय लोगों या यूँ कहें कि सामाजिक अभिकर्ताओं को विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार बनाया गया है। जाहिर है इसे व्यापक अधिकार भी दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

- विद्यालय के विधिवत संचालन का अनुश्रवण करना।
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कोष का विद्यालय के हित में उपयोग करना।
- विद्यालय के पोषक क्षेत्र (1 अथवा 3 किलोमीटर) के अंतर्गत 6-4 आयु वर्ग के सभी वर्ग के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सदृश्य विद्यालय भवनों का निर्माण तथा रखरखाव करना।
- मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना एवं उसकी गुणवत्ता बरकरार रखना।
- शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ लिंग, जाति या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करने के प्रति सतर्क रहना।
- शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखना।
- नये वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के दो माह पूर्व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के देखरेख में विद्यालय की विकास योजना तैयार कर उस पर विद्यालय शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त

कर स्वीकृति हेतु ज़िला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित करना।

- अन्य ऐसे तात्कालिक कार्य जो शैक्षणिक वातावरण बहाल करने हेतु आवश्यक हों।

विद्यालय शिक्षा समिति संबंधित तमाम प्रावधानों के अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों की सफलता एवं असफलता को ध्यान में रखकर, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रखकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की रूपरेखा तैयार कर लागू किया गया है। विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में इस बात पर सर्वाधिक ध्यान रखा गया है कि इस समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है। विद्यालय संबंधी कार्यों में भी इस समिति की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। यह भी 'विकेंद्रित व्यवस्था' और 'समावेशी शिक्षा नीति' का सूचक है जिसका अभाव पूर्व के प्रारंभिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था में देखा जाता रहा है।

इन सब खूबियों के बावजूद इसमें कई खामियाँ उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहले तो यह देखा गया है कि विद्यालय शिक्षा समिति की नियमित बैठकें हो रही हैं या नहीं। यदि होती भी हैं तो प्रभावशाली लोग अभिवंचित समुदाय के सदस्यों को या तो बुलाते ही नहीं हैं या फिर उनकी बातों को सुना ही नहीं जाता है। आनन-फानन में बैठक कर ली जाती है और अभिवंचित समुदाय के बच्चों के हित में कोई ठोस निर्णय भी नहीं लिया जाता है। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य को किसी भी तरह के प्रशासनिक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इस क्रम में यह भी अनुभव किया जा रहा है कि कोई सदस्य खासकर

अभिवंचित समुदाय के सदस्य यदि कोई प्रस्ताव लाते हैं या फिर जाति के आधार पर भेदभाव या फिर कोई अन्य समस्या से संबंधित प्रस्ताव हो और यदि वह अन्य समुदाय के बच्चों और शिक्षकों के हित में नहीं होता है तो प्रभावशाली सदस्य ऐसे प्रस्ताव को शामिल ही नहीं होने देते हैं। ऐसे में सदस्यों को प्रशासनिक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होने के कारण उसे लागू नहीं करवा पाते हैं।

पंचायती राज अधिनियम, 1993 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को पंचायत के दायरे में रखा गया है लेकिन इस विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में मात्र उस वार्ड सदस्य को शामिल किया गया है जिसके वार्ड के तहत विद्यालय अवस्थित है। इसके अतिरिक्त कहीं भी ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहभागिता को शामिल नहीं किया गया है जबकि बिहार में इस स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति कई स्तरों से होती है जिसमें एक स्तर पंचायत भी है, अर्थात् पंचायत को भी अधिकार है कि वह अपने स्तर से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। एक बात यह भी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समिति के सदस्यों को भी इस विद्यालय शिक्षा समिति में न तो शामिल किया गया है और न ही दोनों समितियों में किसी तरह का तालमेल स्थापित किया गया है। यहाँ विरोधाभास है कि एक ही ग्राम पंचायत में गठित दो तरह की समितियाँ अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र अस्तित्व में हैं जो व्यावहारिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस विद्यालय शिक्षा समिति में दिव्यांगों की सदस्यता को एक प्रतिनिधि के रूप में तो शामिल किया गया है लेकिन किसी दिव्यांग को सदस्य बनाने के प्रावधान को नज़रअंदाज़ किया गया है। यह एक बड़ी कमी है। साथ ही यह शिक्षा के समावेशी सिद्धांत और

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का खुला उल्लंघन है। इस संदर्भ में यहाँ यह ज़िक्र करना समीचीन होगा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने माह जुलाई, 2020 में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकशित किया जिसमें दिव्यांगों (नेत्रहीन श्रेणी) के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं था। ऐसी स्थिति में एक जनहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय, पटना ने इस रिक्ति पर आगे के निर्धारित कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया।

विद्यालय शिक्षा समिति में सदस्यों के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर चुके व्यक्ति यथा अवकाश प्राप्त शिक्षक को भी शामिल करने का प्रावधान नहीं है जिससे कि विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके। ऐसे स्वयंसेवी संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों या फिर अन्य सरकारी संगठन यथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा गठित युवा क्लब, महिला मंडल या फिर उनके द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक को भी शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इस अधिनियम के तहत विद्यालय शिक्षा समिति को विद्यालय के लिए वार्षिक योजना बनाने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन इस तकनीकी कार्य को करने हेतु इनके सदस्यों को किसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। यही नहीं इसके सदस्यों को *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के प्रावधानों को जानने और समझने के लिए न तो किसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और न ही उन्मुखीकरण की, जबकि अधिनियम की भावना को समझने के लिए यह परम आवश्यक है।

यह भी ध्यातव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु विद्यालय के पोषक क्षेत्र का

‘शैक्षणिक सहभागी आकलन’ किया जाना चाहिए ताकि सदस्यों को यह ज्ञात हो सके कि किस विद्यार्थी की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति क्या है? क्यों वे अब तक प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे हैं? आगे वे कैसे नियमित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? आदि। ऐसा करके ही विद्यालय शिक्षा समिति अभिवंचित समुदाय के बच्चों की परेशानियों का सहभागी आकलन कर पाएँगे और उसके निवारण का सटीक प्रयास कर पाएँगे तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा कर पाएँगे। यह सहभागी पद्धति से समस्याओं के सही आकलन करने की एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसे इस अधिनियम में नज़रअंदाज़ किया गया है। इस विद्यालय शिक्षा समिति में ग्रामीण लोगों से लेकर प्रखंड और ज़िला स्तर के पदाधिकारियों की भूमिका की तो चर्चा है लेकिन विद्यार्थियों के शैक्षणिक गुणवत्ता और शैक्षणिक उपलब्धि को आँकने की तकनीक की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है जो एक आवश्यक पहलू है। इस कड़ी में यह बात भी जोड़ी जा सकती है कि विभिन्न तरह की आपदा की स्थिति में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका क्या होगी, इसे भी इस अधिनियम में नज़रअंदाज़ किया गया है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय शिक्षा समिति को सक्षम और सक्रिय बनाने के शीघ्र सुनियोजित प्रयास हों और वे विद्यालय के विकास के केंद्रबिंदु में अभिवंचित समुदाय के बच्चों की समस्याओं को रखकर विद्यालय के विकास, अनुश्रवण, उत्प्रेरण और पर्यवेक्षण की योजना बनाएँ तथा अभिवंचित वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को रेखांकित कर उसे दूर करने का प्रयास करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के तहत विद्यालय शिक्षा समिति का गठन स्थानीय स्तर पर लोक भागीदारी को सुनिश्चित कर समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसका अभाव पूर्व के प्रयासों में था। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि विद्यालय शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली प्रभावकारी प्रतीत नहीं होती है। साथ ही विद्यालय की सामान्य समस्याओं के साथ-साथ अभिवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस पहल भी नहीं हो रही है। इसके कतिपय कारण हैं, जिसमें मुख्य यह है कि विद्यालय शिक्षा समिति के प्रतिनिधि का सही चुनाव नहीं होता है। इन्हें विद्यालय विकास एवं प्रबंधन तथा बच्चों की समस्या से संबंधित त्वरित पहल की वित्तीय और प्रशासनिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं के बराबर होना, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने, पंचायत शिक्षा समिति के साथ मिलकर काम करने की भी परंपरा का अब तक विकसित नहीं होना, विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किए गए या फिर किए जा रहे कार्यों का कोई शोध और मूल्यांकन का नहीं होना आदि। इस तरह यह समिति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर पाने में सफल नहीं हो रही है। फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यदि विद्यालय शिक्षा समिति के प्रावधान और क्रियान्वयन में समानता होगी तो निश्चित रूप से अभिवंचित समुदाय के बच्चों के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आएगा और यह शिक्षा के सार्वभौमीकरण की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में गति प्रदान करने वाला एक ‘मील का पत्थर’

साबित होगा। अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 आ गई है इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके लागू होने के बाद अभिवंचित समुदाय के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के अवसर और चुनौतियाँ दोनों और भी बढ़ जाएँगे।

संदर्भ

- अंबेडकर, बी.आर. 2013. *संपूर्ण वाङ्मय*. खंड 10. पृ. 311. अंबेडकर प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली.
- झा, पंकज कुमार. 2010. *सुशासन के आईने में बिहार*. पृ. 881. प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली.
- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम. 2016.
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. भारत का राजपत्र, नयी दिल्ली.
- पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम. 1993.
- बिहार एलिमेंटरी स्कूल एजुकेशन कमिटी एक्ट, 12 ऑफ़ 2011, (बिहार गजट, असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित)
- बिहार शिक्षा समिति (संशोधित) अधिनियम, 2013. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार (अधिसूचना).
- शिक्षाधिकार— अब एक मौलिक अधिकार. 2012. एसोसिएशन ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ क्रिएटिव लर्निंग, नरगदा, दानापुर, पटना.
- प्रकाशक — ऑक्सफ़ेम इंडिया, बिहार फ़िल्ड ऑफ़िस, पटना.
- शिक्षाधिकार— नागरिक प्रतिवेदन. 2013. एसोसिएशन ऑफ़ प्रमोशन ऑफ़ क्रिएटिव लर्निंग, नरगदा, दानापुर, पटना. प्रकाशक — ऑक्सफ़ेम इंडिया, बिहार फ़िल्ड ऑफ़िस, पटना.
- सिंह, आर.जी. 1986. *भारतीय दलितों की समस्याएँ एवं उसका समाधान*. पृ. 84. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश.
- सिटिज़ंस चार्टर ऑफ़ डिमांड ऑन एजुकेशन. 2013. प्रकाशक — झारखंड राइट टू एजुकेशन फ़ोरम, झारखंड.
- हिंदुस्तान. (दैनिक समाचार-पत्र). पृ. 3. पटना संस्करण, 23 जुलाई, 2020.